

ई-मेल।

प्रपत्र

जिला समाज कल्याण अधिकारी  
बरेली।

शेता में

- 1- लो डीग्री सहाय शिक्षाधिकारी, बरेली।
- 2- नौडल अधिकारी छात्रवृत्ति, एम0जे0पी0 विश्वविद्यालय बरेली।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, बरेली।

प्रपत्रांक 705/स0क0/छात्रवृत्ति/2018-19

दिनांक 11/6/18

विषय:-केन्द्रपुरोनिधानित अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत माता-पिता/अभिभावक की आय-सीमा वृद्धि के सम्बन्ध में।

महोदय

उपरोक्त विषयक अनुसचिव, उ0प्र0 शासन (समाज कल्याण अनुभाग-3) के पत्र संख्या 138/2018 दिनांक 18.05.2018 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों के माता-पिता/अभिभावकों की मासिक आय सीमा रू0 200000/- से बढ़ाकर रू0 250000/- किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

आतः उक्त के कम में उक्त शासनादेश की छायाप्रति आपकी सेवा में इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि आप अपने स्तर से सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों को अनुपालनार्थ निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक--उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अशोक दीक्षित)

जिला समाज कल्याण अधिकारी  
बरेली

पु0सं0 उपरोक्तानुसार तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित की सेवा में सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- जिलाधिकारी, बरेली।
- 2- मुख्य विकास अधिकारी, बरेली।
- 3- सम्बन्धित शिक्षण संस्थाओं (दशमोत्तर कक्षाएँ) के प्रधानाचार्यों को अनुपालनार्थ।

जिला समाज कल्याण अधिकारी  
बरेली।

R. Gupta  
Kindly put it on  
University website  
for wider circulation  
Under the head -Scholarship  
Notice

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,  
समाज कल्याण/जनजाति विकास  
उ०प्र० लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 18 मई 2018

विषय:- केन्द्रपुरोनिधानित अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत माता-पिता/अभिभावक की आय-सीमा वृद्धि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्र संख्या-431/ स०क०/शिक्षा-01/103-स०सा०/2018-19, दिनांक-01.05.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक-14.04.2018 को लखनऊ में की गयी घोषणा के अनुरूप प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत् छात्रों के माता-पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा रूपये-2.00 लाख से बढ़ाकर रूपये-2.50 लाख किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत् छात्रों के माता-पिता/ अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा रूपये-2.00 लाख से बढ़ाकर रूपये-2.50 लाख किये जाने हेतु राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

भवदीय,

रवि शंकर मिश्र  
अनुसचिव

प०संख्या-138/2018/1381(1)/26-3-2018-तदिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 2-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4
- 3-निदेशक, एन०आई०सी० योजना भवन लखनऊ।
- 4-समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा निदेशक, समाज कल्याण, उ०प्र० लखनऊ।
- 5-गार्डफाइल।

भवदीय,

रवि शंकर मिश्र  
अनुसचिव